कार्यालय मुख्य वहा संरक्षाक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/त.अ./2024/ ३ 🕇 🕹 5 प्रति,

कांकेर, दिनांक/16/17/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भ्-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (i) (ii) the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 66.020 ha. (57 ha. mining lease and 9.02 ha. approach road) of Forest land for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & Ispat Ltd. in Narayanpur District of Chhattisgarh-regarding.

संदर्भ :--

- आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-230/1750 दिनांक 16.7.2024, 2402 दिनांक 27.9.2024
- वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर के पत्र क्र./मा.चि./2024/5169 दिनांक 11.12.2024

विषयांतर्गत निवेदन है कि मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माईनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. तथा पहुँच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि में खनिपट्टा के लिए प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावर<mark>ण</mark> वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 5.7.2024 द्वारा प्रकरण में 07 बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) द्वारा अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :--

क्र ं.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदः
क्र .	The State Government vide letter dated 30.11.2016 Submitted the proposal in favour of M/s Shri Bajrang Power and Ispat Limited under Section 2 (iii) of FCA, 1980 over 66.02 ha Chhotedongar Iron Ore Mines. The said Proposal was considered in Advisory Committee meeting held on 26.12.2016 and Advisory Committee recommended that "On analysis through DSS it is learnt that the proposed forest land for diversion is in the middle of very dense forest land any intervention is expected to change the adjoining pristine forest. FAC do not recommend the proposal for diversion". After its acceptance of the competent authority, Ministry vide letter no. 8-64/2016-FC dated 09.03.2017 rejected the proposal under Section 2 (iii) of FCA 1980. Now the State Government has submitted the same proposal under Section-2 (1) (ii) of Van (Sanrakshan avam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 that any cogent justification/clarification or new facts submitting the proposal under Section-2 (1) (ii) of Adhiniyam. The same needs to be submitted.	राष्ट्र की वृद्धि और विकास पर पाये जाने वाले खनिजों का चूंकि खनिजों का खनन एक अंतर्गत आता है। प्रस्तावित छोटेर एक विशिष्ट खनन परियोजना (खनन क्षेत्र 57 हे. एवं पहुँच मार्ग है, एवं उपयुक्त निर्दिष्ट परियोज साईट नही है, तथा वर्तमान में प्र किलोमीटर के दायरे के भीतर संचालित है, और इससे आसपा कोई महत्वपूर्ण बदलाव नही हो की मंजुरी से स्थानीय आदि रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे होगी।

दन

स के लिये पृथ्वी की सतह ज निष्कर्षण किया जाता है क विशिष्ट परियोजना के टेडोंगर लौह अयस्क खदान है जिसमें कुल 66.02 है. र्ग 9.02 हे.) वन क्षेत्र शामिल जना के लिये कोई वैकल्पित प्रस्तावित परियोजना के 3 र एक लौह अयस्क खदान पास की प्राचीन वन भूमि में होगा, अपितु इस परियोज<mark>ना</mark> देवासी, जन जातियों को गे एवं राजस्व में बढोत<mark>री</mark>

tate Government has not submitted valid Letter of ntent (LOI) along with the proposal. The same needs to be submitted to the Ministry and uploaded on ARIVESH portal.	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रलय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी (L.O.I) पत्रक्रमाक एफ.—3—23/2010/12 दिनांक 24.12.2014 एवं क्रमाक एफ.—3—23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक I) एवं उक्त (L.O.I) पक्ष की
	वैधानिक स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमाक एफ.—3—23/2010/12 दिनांक 30.05.2017 की छायाप्रति संलग्न है (अनुलग्नक II)
tate Government has submitted a copy of approved fining plan along with the proposal which was valid p to 14.12.2021. In this regard, the State Government hall provide a copy of valid approved Mining plan and pload the same PARIVESH portal.	भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/NPR/FE/MPLN-1159/NPG दिनांक 21.03.2016 के द्वारा 5 वर्ष के लिये खनन योजना का अनुमोदन किया गया है। तथा खनिज रियायत नियम 17(1)2016 के अनुसार खनन योजना की वैधता खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी और उक्त खदान का खनन पट्टा अभी निष्पादित होना बाकी है। खनन योजना के अनुमोदन पत्र की प्रति और खनिज रियायत नियम 17(1)2016 की छायाप्रति क्रमशः अनुलग्नक —III, अनुलग्नक — III B संलग्न है।
The details of proposal reclamation/back-filled area the and of mine life has not been given in project report. The same needs to be submitted. Cost benefit analysis as been submitted by the State Government The same eeds to submitted.	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान अविध के अंत तक का प्रस्तावित पूणःग्रहण/बेकिफिल्ड का विवरण नीचे दिया गया है :— चूंकि खनन टॉप स्लाइसिंग विधि द्वारा किया जाएगा, इस लिये पहाडी की उचाई कम हो जायेगी और एक हिस्सा पिट में परिवर्तित हो जायेगा और कुछ हिस्सा विर्कंग फेस/बेंच में परिवर्तित होगा, खनन क्षेत्र को बैकिफिलिंग के माध्यम से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता एवं मेजर पिट को जल भण्डार में परिवर्तित कर दिया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना के प्रासंगिक पृष्ठ की छायाप्रति अनुलग्नक IV संलग्न है। लागत लाभ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा उसकी छायाप्रति अनुलग्नक—V संलग्न है।
Compensatory Afforestation has been proposal over 6.02 ha non-forest land and KML file is also abmitted for the same, whereas, CA scheme and uitability certificate has been submitted for 76.916 ha. by DFO concerned. In this regard, clarification may be abmitted by the State Government whether CA land will be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. accordingly, revised CA details needs to be submitted. Canalysis of the area proposed for diversion using DSS and calculated area of Shape file/KML file of Forest land proposed for diversion is found 65.778 Ha (software alculated) instead of 66.02 ha as per the proposal. CML file may be verified again and correct KML file proposed area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा —66.02 हे. के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 66.065 हे. का उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं संशोधित सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण योजना की प्रति क्रमशः अनुलग्नक— VI, VII एवं VIII संलग्न है।
The halo is a contract of the	ompensatory Afforestation has been proposal over .02 ha non-forest land and KML file is also bmitted for the same, whereas, CA scheme and itability certificate has been submitted for 76.916 ha. DFO concerned. In this regard, clarification may be bmitted by the State Government Whether CA land II be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. cordingly, revised CA details needs to be submitted. DISTOR OF THE STATE OF THE

화.	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन	
b	Further, Software calculated area of the proposed CA land is found to 65.708 ha instead of 66.02 ha. KML file may be verified again and correct KML file for exact area proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 66.02 हे. वन क्षेत्र के विरूद्ध ग्राम बाटा, डुमरखोली, टाटाझरिया, सोनपुर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 66.065 हे. का संशोधित के.एम.एल. फाईल संलग्न है।	
С	KML file of Mining lease boundary is found shifted from the KML file of proposed forest land. The State Government is requested to verify and upload the correct KML file of Mining lease on PARIVESH portal	छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रलय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमाक एफ.—3—23/2010/12 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा 57.00 हे.से अधिक पट्टा क्षेत्र के लिए संशोधित (एल.ओ.आई.) जारी की गई है। जिसमें निम्नालिखित वन कक्ष क्रमांक शामिल है:—	
d	Component wise breakup has been given for an area of 16.318 ha instead 66.02 ha proposed forest land. Further, KML file of safety zone has also been not uploaded on PARIVESH portal. Therefore, the State Government is requested to provide/submit the KML files indicating the different components depicting the various project components as per the approved mining plan.	घटकवार एम.एल. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:- क्र. कार्य विवरण रकबा हे.में.	
e	Some patches of proposed CA land located in the villages namely Dumarkholi and Bata are falling in the forest compartment boundary. The same needs to be revisited by the State Government and revised/correct KML files needs to be submitted.	क्रमांक/ मा.चि./2024/10122, दिनांक 03.09.2024	

화 .	अतिरिक्त बिन्दु	प्रतिवेदन
f	Presence of Agriculture land and settlements are clearly visible in the proposed CA land. The State Govt. may offer comments in this regard.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पठ क्रमांक/ मा.चि./2024/10122, दिनांक 03.09.2024 के द्वारा प्राप्त 27/08/2024 का निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किये जाने का उल्लेख है।
7	DFO, Balrampur has given Site Suitability Certificate for CA land without mentioning whether the land is free from encroachment and encumbrances. A certificate that the land is free for encroachment and encumbrances shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/10997 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा प्राप्त संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र सहित 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण परियोजना प्राक्कलन संलग्न है।

अतः वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत् होते हुए प्रकरण में अग्रिम

कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित।

उपरोक्तानुसार। संलग्न :-

मुख्य वन संरक्षक, धूक्रांकेर वृत्त, कांकेर कांकेर, दिनांक//6//2/2024

पृ.क्रमांक/त.अ./2024/ 3746

प्रतिलिपि:-

- वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित। 1.
- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड़ रायपुर को सूचनार्थ। 2.

कांकेर वृत्त, कांकेर